



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं0 पटना 1001) पटना, सोमवार, 13 दिसम्बर 2021

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

10 दिसम्बर 2021

सं० 02/एम0एम0-(बा0)-38/21-3725/एम0—विभागीय अधिसूचना संख्या-3043/एम0 दिनांक 01.10.2021 द्वारा राज्य के 08 जिलों यथा—पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय के बालूघाटों का संचालन बिहार राज्य खनन निगम के द्वारा खुली निविदा से चयनित संवेदकों के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति पूर्व में दी गयी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं० 3661-3662/2020 (बिहार राज्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य) में दिनांक 10.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में बिहार राज्य खनन निगम को सम्पूर्ण राज्य में बालू खनन कार्य संवेदको के माध्यम से अगले आदेश तक करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
चित्रगुप्त कुमार,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1001-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>